भारतीय ज्ञान प्रणाली

के वैज्ञानिक दृष्टिकोण

डॉ० संदीप कुमार पाण्डेय
डॉ० श्रवण कुमार, डॉ० चन्द्रशेखर मिश्र

अस्वीकरण

संकल्प प्रकाशन, कानपुर द्वारा प्रकाशित लेखों/शोध पत्रों में व्यक्त विचार योगदानकर्ताओं के अपने हैं। वे आवश्यक रूप से संपादक/प्रकाशक के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। संपादक/प्रकाशक इन लेखों/शोध पत्रों की सामग्री/पाठ से उत्पन्न किसी भी दायित्व के लिए किसी भी तरह से जिम्मेंदार नहीं हैं।

ISBN :978-93-48772-61-9

प्रथम संस्करण : 31 अक्टूबर, 2025

पुस्तक : **भारतीय ज्ञान प्रणाली के वैज्ञानिक दृष्टिकोण**

संपादक : **डॉ० संदीप कुमार पाण्डेय**

सह संपादक : **डॉ० श्रवण कुमार, डॉ० चन्द्रशेखर मिश्र**

प्रकाशक : **संकल्प प्रकाशन**

1569/14 नई बस्ती बक्तौरीपुरवा, बृहस्पति मन्दिर, नौबस्ता, कानपुर (उ.प्र.)-208 021

दूरभाष : 094555-89663, 070077-49872

Email : sankalpprakashankanpur@gmail.com

कॉपीराइट © : डॉ. संदीप कुमार पाण्डेय

मूल्य : 700/- (सात सौ रुपए मात्र)

शब्द-सज्जा : रुद्र ग्राफिक्स, हनुमन्त विहार, नौबस्ता, कानपुर-21

आवरण : गौरव शुक्ल, कानपुर

मुद्रक : सार्थक प्रेस, कानपुर

अनुक्रम

१. भारतीय ज्ञान परंपरा व लोक साहित्य में संबंध
डॉ० रघुनाथ नामदेव वाकळे 11

२. भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु – शिष्य सम्बन्ध
डॉ० प्रियंका 21

३. भारतीय ज्ञान परंपराएँ व सामाजिक परिवर्तन की दिशा
डॉ० रत्नेश कुमार जैन 31

४. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 व भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक परिप्रेक्ष्य
डॉ० नम्रता जैन 43

५. भारतीय ज्ञान परंपरा व समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ, अवसर और संभावनाएँ
डॉ० नम्रता जैन 51

६. भारतीय नाट्यशास्त्र व भावनाओं का मनोविज्ञान : भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में
डॉ० मयुर वासुरभाई भम्मर 61

७. भारतीय ज्ञान परम्परा व वास्तुकला
डॉ० भुपेन्द्र कौर 74

८. भारतीय ज्ञान परम्परा व वैदिक साहित्य
प्रशांत त्रिवेदी, श्रीमती प्रीति त्रिवेदी 83

९. भारतीय ज्ञान परंपरा : धर्म व दर्शन
विनोद कुमार 98

१०. राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 भारतीय शिक्षा का पुनरुत्थान
डॉ० अल्काबेन जे० मकवान 108

११. भारतीय ज्ञान परम्परा और समाज
डॉ० जयन्ती सोनवानी 121
१२. भारतीय ज्ञान परम्परा : आध्यात्म एवं दर्शन
श्याम सुन्दर धाकड़ 128
१३. भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान समय में उपादेयता
डॉ० मीनू मिश्रा 133
१४. भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षा व्यवस्था (गुरूकुल व वैदिक व्यवस्था के विशेष संदर्भ में)
डॉ० अलका शर्मा 141
१५. भारतीय ज्ञान परम्परा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य
डॉ० प्रदीप कुमार चौधरी 149
१६. भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु–शिष्य सम्बन्ध की महत्ता
डॉ० गंगा देवी बैरागी 152
१७. वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारतीय ज्ञान परम्परा की महत्ता
डॉ० श्वेता बागड़े 158
१८. याज्ञवल्क्य, पाणिनी, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य व पतंजलि का भारतीय ज्ञान परम्परा के संवर्धन में योगदान
डॉ० चन्द्रशेखर मिश्र 167
१९. ज्ञान की त्रिवेणी: 'विकसित भारत' के निर्माण हेतु भारतीय ज्ञान परम्परा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सामंजस्यपूर्ण संगम
डॉ० श्रवण कुमार 179
२०. नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली का वैज्ञानिक समावेश
डॉ० अमृता तिवारी 190

७

भारतीय ज्ञान परम्परा व वास्तुकला

डॉ० भुपेन्द्र कौर
सहायक प्राध्यापक–शिक्षाशास्त्र विभाग
स्कूल ऑफ एजूकेशन एण्ड ह्यूमैनिटीज
आई.एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (उ.प्र.)

भारत का वास्तुशिल्प सौन्दर्य और उपेक्षित इमारतें

भारत दुनिया के उन देशों में है जिसका इतिहास पाँच हजार साल से भी अधिक पुराना है। उत्तर में हिमालय की ऊँची पर्वत श्रृंखलाओं से शुरू होकर दक्षिण में अरब सागर, हिन्दी महासागर और बंगाल की खाडी के मिलन–स्थल तथा कन्याकुमारी तक उत्तर–पूर्व में म्यांगार और चीन की सीमा से लगाकर पश्चिमी में पाकिस्तान की सीमा के साथ लगे कच्छ के रन तक फैले इस महान देश के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारें, चर्च, किले, हवेलियाँ, स्तूप एवं अन्य स्मारकों की संख्या हजारों में हैं। 3214 किमी लम्बे और 2933 किमी चौड़ाई में फैले इस देश के लगभग सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक और पुरातत्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रतीकों और स्मारकों में भारत का वास्तुशिल्प सौन्दर्य बिखरा पड़ा है। प्राचीन समय से ही न केवल भारतीय बल्कि पूरी दुनिया के लोग इन स्मारकों को देखने आते हैं। भारतीय अतीत की शानदार परम्परा के इन अनुपम उदाहरणों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं बल्कि इन्हें एक बार फिर देखने के लिए वे बार–बार आना चाहते हैं।

भारत के वास्तुशिल्प के इन नायाब नमूनों के सौन्दर्य और विविधता का ब्योरा दे पाना किसी के लिए एक लेख में तो क्या सम्भव होगा इनमें से एक–एक स्मारक ऐसा है कि जिस पर एक क्या कई–कई किताबें लिखी जा सकती हैं और लिखी गयी हैं। इन स्मारकों की संख्या और भारत का पूरी दुनिया की विरासत के रूप में इनके महत्त्व का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी संगठन यूनिसेफ ने भारतीय उपमहाद्वीप में बने डेढ दर्जन से भी अधिक प्राचीन स्मारकों को विश्व धरोहर की संज्ञा दे रखी है और उसके

रख–रखाव और संरक्षण के लिए विशेष प्रयास कर रखा है। इन स्मारकों में प्रमुख हैं–खुजराहो के मन्दिर, साँची का बौद्ध स्तूप, अजन्ता–एलोरा की गुफाएँ, कोणार्क का सूर्य मन्दिर और हम्पी।

भारत सरकार द्वारा पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारकों के रख–रखाव, अनुसंधान और संरक्षण के लिए गठित संगठन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित घोषित किये गये स्मारकों की संख्या पाँच हजार से भी अधिक है। विभिन्न राज्यों की सरकारें और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन ने भी अपने–अपने स्तर पर इस तरह के विभाग गठित किये हैं। इन विभागों की सूचियों में हजारों की संख्या में ऐसे स्मारकों का ब्यौरा दर्ज है जिनके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है या जिन्हें संरक्षित घोषित किया गया है। इसके बावजूद पूरे देश के जंगलों, पहाडों, घाटियों और अन्य दूरदराज के क्षेत्रों में आज भी ऐसे स्मारकों और स्थलों के होने का अनुमान है जिनका विधिवत् सर्वेक्षण तक नहीं हो पाया है। आये दिन इतिहासकार, पुरातत्व विशेषज्ञ एवं अन्य जानकार ऐसे स्थलों का पता लगा रहे हैं जिनसे इस प्राचीन देश के अतीत इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, कला और सौन्दर्य बोध आदि विभिन्न पहलुओं का पता चलता हैं।

लेकिन देश में तेज गति से बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण, बढ़ती आबादी और विकास ने इन प्राचीन स्मारकों पर बुरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। इन स्मारकों को जितना महत्त्व दिया जाना चाहिए आज नहीं दिया जा रहा है। दूरदराज के इलाकों में फैले इन स्मारकों से पुरातत्त्व महत्त्व की वस्तुओं, मुर्तियों और अन्य चीजों की चोरी और तस्करी करके विदेशों में बेचकर मोटी रकमें कमाई जा रही हैं। भारत की अस्मिता की इस बिक्री को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था तो की गयी है लेकिन यह कितनी प्रभावकारी हो रही है इसका पता इस बात से चलता है कि पश्चिम के देशों के प्रमुख शहरों में इन वस्तुओं की अक्सर खुलेआम नीलामी होती रहती है।

महानगरों और बड़े शहरों में बढती आबादी के दबाव, इन शहरों के स्थानीय अधिकारियां और कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण इन इमारतों पर अवैध कब्जे किया जाना एक साधारण बात हो गयी है। कानूनी खमियों और पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा इन स्मारकों के महत्व को ठीक रूप से नहीं समझे जाने के कारण ये स्मारक बर्बाद हो रहे हैं। सदियों पुरानी तकनीक और सामग्री के इस्तेमाल से बने और सर्दी–गर्मी, बरसात, भूकम्प आदि झेल रहे ये स्मारक अपने सौन्दर्य और स्वरूप को खो रहे हैं।

आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण प्रदूषण इन स्मारकों के लिए एक गम्भीर समस्या के रूप में सामने आया है विश्व धरोहर ताजमहल का

दूधिया संगमरमर पास–पड़ोस के क्षेत्रों में बने कल–कारखानों से निकलती जहरीली गैसों के प्रभाव के कारण अब पीला पड़ गया है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ताजमहल को बचाने के लिए उसके आस–पास हरित क्षेत्र बनाने का प्रयास हो रहा है लेकिन शरद पूर्णिमा की रात की धवल दूधिया चाँदनी में ताज देखने के लिए पूरी दुनिया से ताजनगरी आगरा में आने वाले पर्यटकों को अब वह ताज नहीं दिखता जिस खूबसूरती के लिए वह स्मारक पूरी दुनिया में जाना जाता है।

ताज की खूबसूरती को यमुना का लहराता पानी और बढ़ाता था लेकिन उसी यमुना का पानी अब गंदा और विषैला होकर इस स्थिति में पहुँच गया है कि उससे ताज की नींव तक को खतरा उत्पन्न होने लगा है। अकबर के गुरू शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर लगा अष्टधातु का सोने का परत चढ़ा कलश चोरी हो गया है तो फतेहपुर सीकरी का महान शहर अब आस–पास की पहाडियों से पत्थर निकाले जाले के लिए किये जा रहे विस्फोट के कारण ढहने लगा है। अजन्ता एलोरा की गुफाओं में पर्यटकों की भीड–भाड़ हर मौसम में रही है जबकि खुजराहों के मन्दिर पास के हवाई अडडे से बार–बार उड़ने और उतरने वाले भारी–भरकम जेट विमानों की गूँजती आवाजों से थर्राकर ढह रहे हैं। जौक की मजार पर शौचालय बनता है तो गालिब की हवेली गेस्ट हाउस और दुकानों में बदली जा रही है।

जहानाबाद की गलियों में दिल्ली की महारानी रजिया बेगम की कब्र पर बकरियाँ काटी जाती है। कुतुबमीनार के आस–पास के खण्डहरों को पंचतारा दुकानों में बदला जा रहा है। ऐतिहासिक जन्तर–मन्तर के आस–पास बहुमंजिली इमारतें बन जाने के कारण काम का नहीं रहा।

इस सांस्कृतिक विरासत को बनाये रखने के लिए 1958 में 'एनशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन ऐक्ट' बनाया गया था। 1992 में अयोध्या में राम मन्दिर विवाद के चलते इस कानून में व्यापक फेरबदल किया गया लेकिन अभी भी इस कानून में खामियाँ होने के इन्कार नहीं किया जा सकता। यह कानून अभी भी इतना कमजोर और लाचार है कि इस कानून की धाराओं और नियमों, उपनियमों का उल्लेख करने वाले को पाँच हजार रूपये जुर्माना या तीन महीने की सजा अथवा दोनों की अधिकतम सजा हो सकती है। लालफीताशाही और इन स्मारकों के महत्व की बजाय उसके दुरूपयोग से होने वाली कमाई इन इमारतों की जमीन बेचे जाने की समस्या की ओर आँख बन्द करने के लिए प्रेरित करते हैं। आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया या राज्य सरकारों के अधिकारी ऐसे मामलों में ज्यादा पुलिस ही रिपोर्ट दर्ज कराकर अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं,

इसका एक उदाहरण इस बात से देखा जा सकता है कि राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर की किले की दीवारें इसलिए ढह रही हैं क्योंकि सीवरेज के डस्पोजल की ठीक व्यवस्था नहीं है।

बगीचों का शहर और कर्नाटक की राजधानी होने के बावजूद बंगलौर के किले की दीवारें खराब हो रही हैं। वहाँ गन्दगी के ढेर कभी भी देखे जा सकते हैं। हिमाचल के हमीरपुर जिले में स्थिति ऐतिहासिक और पुरातत्व के महत्त्व का नमदेश्वर मन्दिर हो या कर्नाटक में हम्पी, अवैध कब्जें से तो शायद ही कोई स्मारक अछूता रहा हो। 1992 के संशोधन में यह व्यवस्था तो की गई कि संरक्षित स्मारक के दो सौ मीटर के दायरे में बिना पुरातत्व विभाग की मंजूरी के कोई निर्माण नहीं हो सकता लेकिन इस परिधि में किये गये निर्माण को ढहाने का कोई प्रावधान नहीं है। परिणाम यह है कि नौकरशाही के संरक्षण और लापरवाही के कारण अवैध निर्माण करके पैसा तो बटोरा जा रहा है लेकिन इमारतों के रख–रखाव या उसकी बेहतरी की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुरातत्व विभाग के बजट में तो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है लेकिन स्मारकों की मरम्मत और देखभाल के बजाय धन का बडा भाग नौकरशाही के वेतन–भत्तों और अन्य सुविधाओं पर खर्च हो जाता हैं।

इन स्मारकों में पूजा–अर्चना करने का अधिकार माँगने को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में आन्दोलन होते रहे हैं लेकिन भाजपा और सहयोगी संगठनों द्वारा शुरू किये गये आन्दोलन के बाद विभिन्न धर्मों और समुदायों ने इस दिशा में विशेष जोर पकड़ा है। पिछले वर्षो में अनेक संरक्षित स्मारकों में नमाज अदा किये जाने की माँग को लेकर धरने–प्रदर्शन तक का रास्ता अपनाया गया है। गोवा के चर्च हों या उडीसा के उदयगिरि स्थित गुफाएँ, साँची स्थित सतधारा स्तूप हो या बनारस और मथुरा के मन्दिर हों, निजी स्वार्थो के लिए इन स्मारकों को मोहरा बनाने की लगातार कौशिश हो रही है लेकिन इन प्रयासों का जिस तरह से सामूहिक विरोध होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। आम लोग इन मुद्दों से अपने को अलग ही रखना चाहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लोग अपनी परम्परा और विरासत को बचाने के लिए आगे आये। ये स्मारक आज हमारे हाथ में भविष्य की अमानत है, यह मानकर इनके संरक्षण के लिए जन–आन्दोलन की आवश्यकता है। स्वयंसेवी संगठनों ने इस दिशा में पहल की है। अदालतों ने ऐसे मामलों में गम्भीर रूख अपना लिया है।

सरकार के साधन हैं निजी क्षेत्र और निजी क्षेत्र इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दिल्ली की एवं कुछ अन्य सरकारों ने इस दिशा में प्रयास शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने विभिन्न औद्योगिक घरानों से प्रस्ताव किया है

इसका एक उदाहरण इस बात से देखा जा सकता है कि राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर की किले की दीवारें इसलिए ढह रही हैं क्योंकि सीवरेज के डस्पोजल की ठीक व्यवस्था नहीं है।

बगीचों का शहर और कर्नाटक की राजधानी होने के बावजूद बंगलौर के किले की दीवारें खराब हो रही हैं। वहाँ गन्दगी के ढेर कभी भी देखे जा सकते हैं। हिमाचल के हमीरपुर जिले में स्थिति ऐतिहासिक और पुरातत्व के महत्त्व का नमदेश्वर मन्दिर हो या कर्नाटक में हम्फी, अवैध कब्जें से तो शायद ही कोई स्मारक अछूता रहा हो। 1992 के संशोधन में यह व्यवस्था तो की गई कि संरक्षित स्मारक के दो सौ मीटर के दायरे में बिना पुरातत्व विभाग की मंजूरी के कोई निर्माण नहीं हो सकता लेकिन इस परिधि में किये गये निर्माण को ढहाने का कोई प्रावधान नहीं है। परिणाम यह है कि नौकरशाही के संरक्षण और लापरवाही के कारण अवैध निर्माण करके पैसा तो बटोरा जा रहा है लेकिन इमारतों के रख–रखाव या उसकी बेहतरी की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुरातत्व विभाग के बजट में तो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है लेकिन स्मारकों की मरम्मत और देखभाल के बजाय धन का बडा भाग नौकरशाही के वेतन–भत्तों और अन्य सुविधाओं पर खर्च हो जाता हैं।

इन स्मारकों में पूजा–अर्चना करने का अधिकार माँगने को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में आन्दोलन होते रहे हैं लेकिन भाजपा और सहयोगी संगठनों द्वारा शुरू किये गये आन्दोलन के बाद विभिन्न धर्मों और समुदायों ने इस दिशा में विशेष जोर पकड़ा है। पिछले वर्षो में अनेक संरक्षित स्मारकों में नमाज अदा किये जाने की माँग को लेकर धरने–प्रदर्शन तक का रास्ता अपनाया गया है। गोवा के चर्च हों या उडीसा के उदयगिरि स्थित गुफाएँ, साँची स्थित सतधारा स्तूप हो या बनारस और मथुरा के मन्दिर हों, निजी स्वार्थो के लिए इन स्मारकों को मोहरा बनाने की लगातार कौशिश हो रही है लेकिन इन प्रयासों का जिस तरह से सामूहिक विरोध होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। आम लोग इन मुद्दों से अपने को अलग ही रखना चाहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लोग अपनी परम्परा और विरासत को बचाने के लिए आगे आये। ये स्मारक आज हमारे हाथ में भविष्य की अमानत है, यह मानकर इनके संरक्षण के लिए जन–आन्दोलन की आवश्यकता है। स्वयंसेवी संगठनों ने इस दिशा में पहल की है। अदालतों ने ऐसे मामलों में गम्भीर रूख अपना लिया है।

सरकार के साधन हैं निजी क्षेत्र और निजी क्षेत्र इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दिल्ली की एवं कुछ अन्य सरकारों ने इस दिशा में प्रयास शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने विभिन्न औद्योगिक घरानों से प्रस्ताव किया है

कि वे आगे आये और इन स्मारकों के संरक्षण का जिम्मा सँभाले लेकिन इतिहासकारों और विशेषज्ञों का एक वर्ग इस प्रस्ताव का बहुत समर्थक नहीं है। उनका तर्क है कि निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ स्मारकों के संरक्षण की बजाय उनके व्यावसायिक इस्तेमाल को प्राथमिकता देगी क्योंकि उनका उद्देश्य मुनाफा कमाना होगा न कि संरक्षण करना। ये लोग हाल ही में ताजमहल में हुए यात्री शो, दिल्ली में पुराने किले में हुए फैशन शो और खिजली वंश के दौरान बने होजखास और समीपवर्ती इमारतों के दुस्पयोग का उदाहरण देते हैं। इस वर्ग के तर्कों को पूरी तरह नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी मानना होगा कि भविष्य की पीढ़ी की इस अमानत का संरक्षण वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है। सरकार अपने सीमित साधनों को देखते हुए सीमा से अधिक प्रयास नहीं कर सकती है।

सरकार ने हाल ही के वर्षो में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। केन्द्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने एक सौ करोड़ रूपये से 'नेशनल कल्चर फण्ड' बनाने का फैसला किया है लेकिन इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही पुरातत्व महत्त्व के स्मारकों के संरक्षण के लिए जरूरी है एक जन आन्दोलन। लोगों में इस बात की भावना जगानी होगी कि वे इन धरोहरों को पहचानें व उनके महत्त्व को समझें। अपने–अपने क्षेत्रों में अपने–अपने तरीके से इनका संरक्षण करने का प्रयास करें। इसके लिए यह जरूरी है कि यह जानने का प्रयास करें कि क्षेत्र विशेष में कौन से स्मारक हैं, कौन से जाने–पहचाने हैं और कौन से अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण या अनजाने हैं। विश्वविद्यालय, स्कूल व कॉलेज इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण भूमिका आम लोगों की है। वे अपने आस–पास स्वयं देखें स्मारकों को पहचानें उन्हें संरक्षित करने का स्वयं प्रयास करे। स्थानीय प्रशासन भी सहयोग करे तभी हम भविष्य की पीढ़ियों के प्रति इस अमानत को सुरक्षित रख सकेंगे।

भारत का वास्तुशिल्प सौन्दर्य : एक झलक–हिमाचल की चोटियों से लेकर कन्याकुमारी तक और उत्तर–पूर्व में म्यांमार की सीमाओं से शुरू होकर कच्छ के रन तक फैले भारत के वास्तुशिल्प सौन्दर्य का जायजा लेने के कई तरीक हो सकते हैं। हम इसे भौगोलिक आधार पर विभक्त करके विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाने वाले स्मारकों को देख सकते हैं। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि हम इस महान देश के पाँच हजार साल से भी अधिक पुराने इतिहास को समय के विभिन्न खण्डों में विभक्त करके इस पर नजर डाल सकते हैं। एक अन्य तरीका यह हो सकता है कि शासक वंशों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में उनके

द्वारा किये गये निर्माणों की विवेचना कर सकते हैं। एक अन्य तरीका यह भी हो सकता है कि हम विभिन्न धर्मों जैसे हिन्दू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, राजपूत के आधार पर स्थापत्य कला के नमूनों और वास्तुशिल्प सौन्दर्य की चर्चा कर सकते हैं। इसी प्रकार हम विदेशी स्थापत्य कला और वास्तुशिल्प को आधार बनाकर यूरोपीय और पाश्चात्य कला के नमूनों की चर्चा कर सकते है। प्रस्तुत लेख में इन सभी पहलुओं को एक साथ ही लेने का प्रयास किया गया है। इसमें इस बात को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है कि बेहद लोकप्रिय वास्तुशिल्प के नमूनों–लाल किला, ताजमहल, कोणार्क, खुजराहों जैसे देश और दुनिया में जाने–पहचाने स्मारकों की बजाय अपेक्षाकृत 25 चर्चित स्मारकों को प्राथमिकता दी जाये।

भारत के वास्तुशिल्प सौन्दर्य पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि ईसा के जन्म के तीन हजार साल पहले भी नगर निर्माण और वास्तुकला बेहद उन्नत स्तर की थी। पंजाब में हड़प्पा और सिन्ध (अब पाकिस्तान) में किये गये उत्खनन से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि उस समय के शहरों को बेहद नियोजित तरीके से बसाया जाता था। घरों में स्नानागार बनाये गये थे और पानी की निकासी का निश्चिय प्रबन्ध था। इस सभ्यता के बाद वैदिक काल के पर्याप्त प्रमाण अब देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन यह माना जाता है कि शहरों के चारों और सुरक्षा के लिए दीवार बनाने की परम्परा की शुरूआत हुई जो ईसा के बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी तक जारी रही। शहर के चारों ओर दीवार उन गुम्बद और शहर में आने–जाने के लिए बनायी गयी दीवारें तो आज भी देखी जा सकती है। बौद्ध साहित्य में नियोजित शहरों और अन्य महलों का अनेक स्थलों पर चर्चा है। सम्राट अशोक के कार्यकाल में पत्थर के शिलालेखों और आधुनिक भारत के शासन के प्रतीक के रूप में अपनाये गये सिंह के प्रतीक को सारनाथ स्तम्भ से लिया गया है। उस युग के स्तूप और विहार व गुफाओं में किये गये कार्य आज भी देखे जा सकते हैं। पूना के निकट की गुफाओं के मन्दिर ईसा के जन्म के दो शताब्दी पहले के हैं। ईसा के जन्म के एक शताब्दी पूर्व बने केरल के चैत्या हाल इसके घोडे के नाल के रूप में बनी खिड़कियाँ और चित्रकारी आज भी दर्शकों का मन मोह लेती है। भरहुत स्तूप के भव्य द्वारा और उस पर की गयी कसीदाकारी और यक्षणी व नागराज आज भी उस युग की भव्यता के प्रतीक हैं। गया में बोधिवृक्ष मन्दिर अपने आप में एक अनोखा स्मारक है। दक्षिण में इसी युग का अमरावती में बना स्तूप है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है।

गुप्त वंश के शासनकाल (320–650 ए. डी.) के बीच भारतीय स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर थी। बनारस के निकट सारनाथ का धमेख स्तूप,

अजन्ता की गुफाओं में खम्भों पर की गयी सजावट आज भी दर्शकों का मन मोह लेती है। गुप्त वंश के बाद सन् 650–900 के बीच दक्षिण में चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव व उत्तर में पाल वंश के राजाओं के कार्यकाल के दौरान भारतीय स्थापत्य और वास्तुशिल्प के नमूनों के अवशेष आज थी विद्यमान हैं। सातवीं सदी में बना नालन्दा विश्वविद्यालय की इमारत उस युग की याद दिलाती है।

शिव का विरूपक्ष और बदामी स्थित वैष्णव गुफा मन्दिर चालुक्य वंश के युग में स्थापत्य कला की भव्यता का आज भी प्रदर्शन करता है। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में बना एलोरा का कैलाश मन्दिर और एलोरा का शिव मन्दिर, पल्लव वंश द्वारा नौवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महाबलिपुरम् में बनाये गये सात रथ और काँची में बना कैलाशनाथ मन्दिर स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करते हैं।

950 और 1050 के बीच बनाये गये खुजराहों के मन्दिर आज विश्व की धरोहर माने जाते हैं। चालुक्यों व राजपूतों द्वारा निर्मित स्मारकों ने तो कला के अनेक नये क्षेत्र विकसित किये। मध्य प्रदेश का उदयेश्वर और गुजरात में सिद्धपुर स्थित रूद्रमल मन्दिर और राजस्थान के माउण्ट आबू के निकट संगमरमर से बने मन्दिरों का दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलता।

7वीं और 13वीं सदी के बीच उड़ीसा में बने मन्दिर नागरा शैली के उल्लेखनीय उदाहरण है। पुरी स्थित लिंगराज मन्दिर की भव्यता और 1238 से 1264 के बीच कोणार्क में बने सूर्य मन्दिर की दीवारों पर बनी मूर्तियाँ आज पूरी दुनिया में सराही जाती हैं। 15 वीं शताब्दी में हिन्दू राजाओं द्वारा राजपूताना और बुन्देलखण्ड में बनाये गये विशाल किलों और महलों में ग्वालियर, दतिया, अजमेर व जोधपुर के किले प्रमुख हैं।

850 और 1600 के बीच दक्षिण भारत में चोल, पांड्य विजानगर के राजाओं तथा तंजौर मदुरै के नायक वंश के शासनकाल में किये गये निर्माण कार्य काँची विजयनगर और वेल्लूर में आज भी देखे जा सकते हैं। विजयनगर का बिठोवा मन्दिर, मदुरै का मीनाक्षी मन्दिर इस युग की कला का जीवन्त उदाहरण है।

12वीं शताव्दी में उत्तर भारत में इस्लामिक शक्तियों का उदय हुआ और इनके साथ भारत में इस्लामी कला की शुरूआत हुई। दिल्ली उसका प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। कुतुबमीनार और उसके आस–पास के क्षेत्रों में बने स्मारक आज भी उस युग की स्थापत्य कला के नमूने हैं। 1320–1413 के बीच तुगलक वंश द्वारा बनाया गया तुगलकाबाद का किला आज इसलिए चर्चा में है कि उसकी जमीन और दीवार के पत्थरों को बेचा जा रहा है। इसी वंश के फिरोजशाह कोटला नामक सथान पर बना क्रिकेट स्टेडियम है।

अहमदशाही वंश द्वारा बनाये गये अहमदाबाद की जामा मस्जिद और

मरखेज में बना शेख अहमद का मकबरा अपनी तरह के विशाल और भव्य स्मारक है। जुनागढ, खेडा और चम्पारन के स्मारक मुहम्मद बेघरा के युग के हैं। गुलबर्गा की जामा मस्जिद, दौलताबाद का किला, बीदर में अहमदवली शाह का मकबरा, सासाराम में शेरशाह का मकबरा आदि अपने–अपने क्षेत्र की कला व वास्तुशिल्प के प्रतीक हैं। हुमायूँ का मकबरा व आगरा और लाहौर के किले मुगलवंश के प्रारम्भिक दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर को निर्माता के रूप में दर्शाता है। श्रीनगर के शालीमार और निशात बाग तथा सिकन्दरा में अकबर का मकबरा जहाँगीर के शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। शाहजहाँ ने लाल पत्थर के साथ राजपूताना में उपलब्ध संगमरमर का इस्तेमाल करके ताजमहल बनवाया जिसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और वर्तमान में पुरानी दिल्ली कहा जाने वाला शाहजहानाबाद शाहजहाँ के दूरगामी और विलक्षण निर्माण प्रतिभा का उदाहरण कहे जा सकते हैं।

चौथी शताब्दी में सीरिया से केरल में आकर बसने वालों ने चर्च बनाने शुरू किये। केरल में बनने वाले चर्चों में हिन्दू मन्दिरों की कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। गोवा में आने वाले पुर्तगालियों ने यूरोपीय वास्तुकला की भारत में शुरूआत की। पुराने गोवा में बना जीसस चर्च इसका सबसे बडा उदाहरण है। ब्रिटिश शासन के दौरान कोलकत्ता में बने सेण्ट पॉल चर्च ने युरोपीय परम्परा को आगे बढ़ाया। आन्ध्र प्रदेश में बना डोर्नाकल कैथेडल ऑफ चर्च ऑफ साउथ इण्डिया और तमिलनाडु के उत्तरी अर्काट जिले में क्रिस्टू कुला आश्रम चैपल आधुनिक रूपों के उदाहरण हैं।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश शासन के दौरान बने स्मारकों में हिल स्टेशनों पर बनाये गये चर्च और अन्य इमारतें भारत में ब्रिटिश स्थापत्य कला के प्रतीक नहीं है। नई दिल्ली के निर्माण में उसके विभिन्न रूप मुखरिन हुए हैं। कोलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और मुम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में भारतीय वास्तुकला के प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यदि हम उत्तर–पूर्वी राज्यों की ओर देखें तो वह इस क्षेत्र की स्थापत्य कला के नमूनों का भण्डार है। अरूणाचल प्रदेश की तवांग मोनास्ट्री और बौद्ध मन्दिर में इस सीमान्त प्रदेश की परम्परागत संस्कृति की झलक मिलती है तो त्रिपुरा में त्रिपुरासुन्दरी और भुवनेश्वरी मन्दिर पूरे देश में दर्शकों को आकर्षित करते हैं।

सन्दर्भ

1. रूहेला. एस. पी, (2012) : विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा।

2. सिहं, योगेन्द्र, (2016) : भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
3. सिन्हा, आलोक, (2014–15) : भारतीय समाज, ग्रीण लीफ पब्लिकेशन, वाराणसी।
4. त्यागी, गुरसरनदास, (2016) : श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
5. पुरोहित, अंजना (2013) : भारतीय कला, बुक ओसियन पब्लिकेशन, वाराणसी.
6. भारद्वाज, चन्द्रशेखर डॉ : भारतीय वास्तुकला का इतिहास, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

संपादक परिचय

डॉ० संदीप कुमार पाण्डेय

शैक्षिक योग्यता : एम०ए० (प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र), पीएच०डी०

प्रकाशित पुस्तकें : 1. जैन पुराणों में समाज 2. भारतीय सामाजिक व्यवस्था 3. प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था 4. भारतीय शिक्षा का इतिहास 5. सामाजिक वैचारिकी 6. राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान 7. व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण 8. मूल्य आधारित शिक्षा व आधुनिक तकनीकी 9. संस्कृति संचय 10. भारतीय ज्ञान परंपरा व संस्कृति संधान 11. भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध संदर्भ 12. उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व 13. शिक्षा एवं विरासत 14. भारतीय सामाजिक व्यवस्था 15. संस्कृति प्रवाह 16. समकालीन भारत एवं शिक्षा 17. भारतीय कला व संस्कृति 18. समकालीन भारतीय समस्याएं एवं समाधान 19. सामाजिक विकास 20. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण 21. जनजातीय समाज व संस्कृति 22. समकालीन विकास के मुद्दे एवं चुनौतियाँ 23. समकालीन राजनीति मुद्दे 24. सामाजिक अभिव्यक्तियाँ 25. एकात्म मानववाद के प्रणेता : पं. दीनदयाल उपाध्याय 26. संस्कृति संकलन 27. विकसित भारत @ २०४७ : चुनौतियां व संभावनाएं 28. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व योग 29. भारतीय सांस्कृतिक अग्रदूत स्वामी विवेकानंद 30. अन्वेषणा 31. शोध प्रविधि-1 32. अभ्युदय 33. शोध प्रविधि-2 34. शोध प्रविधि-3 35. शिक्षा का परिचय 36. समाजशास्त्र परिचय 37. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व योग-2 38. प्रयागराज महाकुम्भ : आस्था व आध्यात्म का महापर्व 39. RESEARCH DRISHTI 40. भारतीय शिक्षा का इतिहास व विकास 41. भारतीय शिक्षा का विकास 42. भारतीय संस्कृति व पर्यावरण संरक्षण 43. ज्ञानवृत्ति 44. भारतीय शिक्षा के विविध आयाम 45. भारतीय समाज : संरचना एवं परिवर्तन 46. वरिमा 47. प्राचीन भारत का सामाजिक व आर्थिक इतिहास 48. समावेशी शिक्षा 49. समावेशी शिक्षा : दशा व दिशा 50. अनुसंधान 51. शोध विमर्श 52. इतिवृत्त 53. भारत में शिक्षा का विकास 54. आर्टिफिशियन इंटेलिजेंस : उपयोगिता व चुनौतियाँ 55. कृत्रिम बुद्धिमत्ता: उपयोगिता और चुनौतियाँ

अवॉर्ड : 1. उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय कला प्रतिभा सम्मान-2022
2. अवगत अवॉर्ड-2022, 3. शिक्षा भूषण सम्मान-2023
4. उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान-2024

संप्रति : व्याख्याता- एस०आई०आई० कॉलेज, उत्तराखण्ड
पूर्व सहायक कुलसचिव (शोध) भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर

मोबाईल : 8949193307

संकल्प प्रकाशन
1569/14, नई बस्ती बधतौरीपुरवा
बृहस्पति मन्दिर, नौबस्ता, कानपुर-208021
Mob. : 70077-49872, 94555-89663
Email : sankalpprakashankanpur@gmail.com

Also available at : flipkart

ISBN 978-93-48772-61-9

9 789348 772619

₹700/-